में दिनांक को पेश हों।

10/10/19 पत्रावली पेश हुई। वादिया श्रीमति कौशल्या देवी स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वाद को निरस्त करवाने बाबत पेश किया। जिसमें अंकन किया गया कि वादिया और अप्रार्थीगण के बीच मध्यस्थ मिल बैठकर राजीनामा कर लिया गया है अब मैं उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहती हूं। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रार्थना पर निरस्त करवाने का वाद को स्वीकार किया जाता है। अतः वादिया के अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट ने पहचान की एवं स्वयं वादिया ने अपना सबूत के तौर पर अपना स्वयं का आधार कार्ड पेश किया गया जिसको वादिया के अधिवक्ता ने पहचान की व हस्ताक्षर करवाये गये। अतः वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा लोकल गण्डार हो।

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2020.01.17 12:38:27 IST
Reason: SelfAttested